छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 13 वीं बैठक दिनांक 19 दिसंबर, 2022 का कार्यवाही विवरण

*****

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 13वीं बैठक श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 19.12.2022 को सम्पन्न हुआ। बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों की सूची परिशिष्ट–एक में दर्शित है।

सर्वप्रथम श्री पी. वी. नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, उपाध्यक्ष माननीय वनमंत्री जी एवं बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जिसका एजेण्डावार विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आयटम 13/1 :– बोर्ड की 12वीं बैठक दिनांक 21.6.2021 के कार्यवाही विवरण/पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन –

छ.ग. राज्य वन्य जीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 को संपन्न हुई थी। पालन प्रतिवेदन के बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही से बोर्ड को बिन्दुवार अवगत कराया गया। एजेण्डा आयटम क. 12/9 – छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या चार गुना करने के लिए ग्लोबल टायगर फोरम की सहयोग से कार्य किये जाने हेतु प्रदान की गई अनुमति के आधार पर आगे की रूपरेखा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रदेश के तीनों टायगर रिजर्व में कार्य किये जा रहे हैं। विशेषकर अचानकमार टायगर रिजर्व को इस कार्य हेतु प्राथमिकता दी गई और इसे केन्द्र बिन्दु बनाकर अचानकमार टायगर रिजर्व के क्षेत्र में तीन माइक्रो कोर क्षेत्र की पहचान कर उसमें से सांभरधसान माइक्रो कोर (क्षेत्र लगभग 6400 हे.) में तत्काल प्राथमिकता के तौर पर कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया साथ ही अचानकमार टायगर रिजर्व में निम्न कार्यवाहियां प्राथमिकता के तौर पर करने हेतु निर्णय हुआ :–

- सेक्यूरिटी प्लॉनिंग
- सुरक्षा अधोसंरचना को मजबूत करना (पेट्रोलिंग कैम्प, कर्मचारी, पेट्रोलिंग सुरक्षा श्रमिक में वृद्धि)
- संचार व्यवस्था को दुरूस्त करना एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
- शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या में वृद्धि हेतु prey augmentation

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

2. ग्राम गौरगांव, परिक्षेत्र तौरेंगा, कक्ष क्रमांक 858 में वन क्षेत्र रकबा 0.055 हे. (ओएफसी केबल)
3. ग्राम खरता–गरहाडीह, परिक्षेत्र तौरेंगा कक्ष क्रमाकं 1162, 1164, 1168, 1167, 1166, 1189, 1188, 1187 में वन क्षेत्र रकबा 0.992 हे. (ओएफसी केबल)
4. ग्राम परिक्षेत्र अरसीकन्हार मौहाबाहरा कक्ष क्रमांक 208 प्रभावित क्षेत्रफल 0.062 हे. (मोबाईल टॉवर)
5. ग्राम फरसगावं परिक्षेत्र अरसीकन्हार, कक्ष क्रमाकं 213 प्रभावित क्षेत्रफल 0.062 हे. (मोबाईल टॉवर)
6. ग्राम गौरगांव, परिक्षेत्र रिसगांव कक्ष क. 239 प्रभावित क्षेत्रफल 0.164 हे. एवं कक्ष क. 240 प्रभावित क्षेत्रफल 0.044 हे. लंबाई 4.15 कि.मी. (ओएफसी केबल)
7. ग्राम मुहकोट परिक्षेत्र रिसगांव, कक्ष क. 299 प्रभावित क्षेत्रफल 0.062 हे. (मोबाईल टॉवर)

(B) जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के प्रस्ताव

1. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का 0.303 हे. वनक्षेत्र
2. इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर का 3.513 हे. वनक्षेत्र
3. एलीफेंट रिजर्व सरगुजा में 2.707 हे. वनक्षेत्र
4. गोमार्डा अभ्यारण्य अंतर्गत 0.785 हे. वनक्षेत्र
5. गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर सोनहत से रामगढ़ 29.940 कि.मी. तथा सोनहत से मोहरसोप मार्ग में 2.220 कि.मी. कुल लंबाई 32.160 कि.मी. चौड़ाई 0.0005 कि.मी. प्रभावित रकबा 1.608 हे. वनंक्षेत्र।

(C) बारनवापारा अभ्यारण्य में मोबाईल नेटवर्क बाबत् ।

जियो कंपनी द्वारा बारनवापारा अभ्यारण्य अंतर्गत देवगांव में मोबाईल टॉवर लगाने हेतु पट्टा (वनभूमि कक्ष क. 121) पट्टा क. 64/6376 कुल रकबा 2.5 हे में से मोबाईल टॉवर हेतु 0.015 हे. भूमि तथा बार में मोबाईल टॉवर लगाने हेतु पट्टा (वन भूमि कक्ष क. 106) पट्टा कमांक 57/5668 कुल रकबा 2.5 हे. में से मोबाईल टॉवर हेतु 0.015 हे. भूमि का उपयोग किया जावेगा।

(D) अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत स्थित 15 ग्रामों में 4G मोबाईल टॉवर की स्थापना।

भारत संचार निगम लिमिटेड बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत 15 ग्राम क्रमशः सरसोहा, महुआमाचा (एटीआर सीमा), मंजूरहा, बिन्दावल, बिरारपानी, छिरहट्टा, रंजकी, पटपरहा, सुरही, निवासखार, कटामी, बोईरहा, राजक, चकदा एवं सारसडोल में 4G मोबाईल टॉवर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। 15 मोबाईल टॉवर स्थापना में प्रति टॉवर 200 वर्ग मीटर वनभूमि के हिसाब से कुल 3000 वर्ग मीटर वन भूमि प्रभावित होगी।

निर्णय – उक्त समस्त प्रस्तावों का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, महा नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक दिनांक 21 जून, 2021 का कार्यवाही विवरण

*****

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों की सूची परिशिष्ट–एक में दर्शित है।

सर्वप्रथम श्री पी. वी. नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, उपाध्यक्ष माननीय वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र विकास, पेयजल व्यवस्था, नरवा विकास कार्य, अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य अंतर्गत वर्ष 2021–22 में लगभग 25.80 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एव सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारभ की जिसका एजेण्डावार विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आयटम 12/1 :– बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दि. 24.11.2019 के कार्यवाही विवरण/ पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन –

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 24.11.2019 में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ, अनुमोदन किया।

एजेण्डा आयटम 12/2 :– भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु स्वीकृति–

भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकृत किया जाना है। इस परियोजना के तहत मेसर्स छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) ने छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार संरक्षित क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आवेदन कर रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी है। प्रकरण का परीक्षण उपरांत पंजीयन किये जाने बाबत अनापत्ति प्रदाय की जा चुकी है। प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. गोमार्डा अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 0.825 हे.
2. उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 9.589 हे.
3. तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 1.423 हे. एवं राजस्व वन 0.39 हे. कुल 1.462 हे.

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

1. भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत् ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने की स्वीकृति बाबत् :–

मेसर्स छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) द्वारा भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने बलौदाबाजार वनमंडल के बारनवापारा अभ्यारण अंतर्गत ग्राम पंचायत के मार्ग के समानांतर कुल वनभूमि रकबा 1.137 हे. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने बाबत् :–

धमतरी जिले के मेसर्स जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के तहत धमतरी जिले के नगरी तहसील क्षेत्रातंर्गत उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद वनमंडल क्षेत्र में शामिल मार्ग दोमपदर से मानपुर एवं सलना से कारीपानी के सड़क के समानांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल क्षेत्र 1.068 हे. वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3. सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण की अनुमति बाबत्।

जिला धमतरी के विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु अनुमति बाबत् प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित पुल की लम्बाई–105 मी., चौड़ाई–8.40 मी., पहुंच मार्ग की लंबाई–1436 मी. एवं चौड़ाई–8.40 मी. में निर्माण कार्य करना प्रस्तावित है। यह कार्य उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व के अंतर्गत परिक्षेत्र सीतानदी के पश्चिम बिरनासिल्ली एवं गिधवा परिसर के कक्ष क्रमांक 353–351 में निर्माण किया जाना है।

अतः उक्त प्रस्ताव को अनुशंसा सहित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के स्टैंडिंगकमेटी को भेजा जाना प्रस्तावित है।

पारित प्रस्ताव :– उक्त तीनों प्रस्तावों की अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।

{कार्यवाही द्वारा – प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी)
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर
व.मं.अ. बलौदाबाजार, उप निदेशक उ.सी.टा.रि. गरियाबंद}

माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझाव :–

माननीय श्री देवव्रत सिंह, सदस्य विधानसभा – मानव–हाथी द्वंद को कम करने के लिए वनक्षेत्रों में बांस प्रजाति का अधिक से अधिक रोपण करने का सुझाव दिया गया।

श्री सुहास कुमार से.नि. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश – वन्यप्राणियों के कॉरिडोर में बन रहे गांव, खेत, खलिहान आदि का अध्ययन किये जाने, युवा टायगर को रेडियो कॉलर करने ताकि उनके विचरण का अध्ययन हो सके, कैप्टिव एनीमल को वनक्षेत्र में छोड़ने से पूर्व उसका वैज्ञानिक अध्ययन करा लिये जाने का सुझाव दिया गया।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर